

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या - 315/2020

जीसीएमएस सं. - 2020/00381

--: प्रार्थीगण :-

बनाम

--: अप्रार्थीगण :-

1. रामचन्द्र पुत्र झुमरराम जाति नाई
निवासी मालावास तहसील पीपाड़
शहर

1. बद्रीलाल पुत्र झुमरराम
2. बंशीलाल पुत्र झुमरराम
3. गीता पुत्री झुमरराम
सभी जातियान नाई निवासीयान
मालावास
4. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया पीपाड़ शहर
6. भूमि विकास बैंक शाखा, बिलाड़ा
7. शोभा चौधरी पत्नी राजूराम जाति जाट
निवासी मादलिया

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दर्ज तारीख 18/09/2020

उपस्थित अधिवक्ता

श्री संग्राम सिंह चौहान-प्रार्थी की ओर से

श्री अब्दुल सलीम खान अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से

श्री पृथ्वीराज चौहान अप्रार्थी संख्या 07 की ओर से


निर्णय

दिनांक 22/12/2025


प्रार्थी की ओर से एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी ने एक वाद बाबत घोषणा बन्टवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का सुदृढ प्रथम दृष्टया मामला है। प्रार्थी के वाद में सफल होने की प्रबल सम्भावना है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) से 3 (तीन) ग्राम मालावास मु.अभि० निरीक्षक क्षेत्र चौकडीकला, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के मूल निवासी एवं भारतीय नागरिक हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) से तीन (3) एक ही बाप दादा की औलाद है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) से 3 (तीन) आपस में आपसी रिश्तेदारी में सगे भाई-बहन हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं। अप्रार्थी संख्या 4 (चार) भूमिधारी है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के पिता स्व० श्री झुमरराम के खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 365 (तीन सौ पचास) रकबा 0.5420 हैक्टेयर खसरा नम्बर 367 (तीन सौ सड़सठ) रकबा 0.5097 हैक्टेयर खसरा नम्बर 368 (तीन सौ अडसठ) रकबा 1.3187 हैक्टेयर खसरा नम्बर 372 (तीन सौ बावोत्तर) रकबा 1.0274 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 377 (तीन सौ सित्योत्तर) रकबा 1.1892 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 435 (चार सौ पतीस) रकबा 2.8072 हैक्टेयर, एवम खसरा नम्बर 450 (चार सौ पचास) रकबा 1.0679 हैक्टेयर कुल खसरे -7 (सात) व कुल रकबा क्षेत्रफल 8.4621 (आठ दशसमलव चार हजार छः सौ इक्कीस) हैक्टेयर वाके ग्राम मालावास पटवार क्षेत्र मालावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौकडीकला तहसील पीपाड़ शहर शहर जिला जोधपुर में आई हुई थी व है। जिसके खेवट (खतौनी) सख्या नया 389 व खाता सख्या पुराना 91 है जो खसरा नम्बर 365 रकबा 0.5420 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण बारानी प्रथम खसरा नम्बर 367 रकबा 0.5097 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 368 रकबा 1.3187 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण बारानी ए, खसरा नम्बर 372 रकबा 1.0274 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण बारानी ए, खसरा नम्बर 377 रकबा 1.1892 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण बारानी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

प्रथम खसरा नम्बर 435 रकबा 2.8072 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण बारानी प्रथम एवम् खसरा नम्बर 450 रकबा 1.0679 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण बारानी प्रथम कुल खसरे 7 व कुल रकबा क्षेत्रफल 8.4621 आयी हुई है। पूर्व में उक्त वादग्रस्त भूमिया प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) से 3 (तीन) के दादा स्व० श्री रावतराम के अकेले के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमिया थी। प्रार्थी के दादा स्व० श्री रावतराम ने अपने जीवनकाल में अपनी उक्त खातेदारी व कब्जा-काश्त की कृषि भूमियों का बहैसियत खातेदार काश्तकार उपयोग उपभोग किया। इस तरह प्रार्थी के दादा स्व० श्री रावतराम अपनी उक्त कृषि भूमियों के खातेदार काश्तकार थे उनका ही इनमें हक हिस्सा व अधिकार था और वे इस भूमि के एकमात्र खातेदार काश्तकार थे। कालान्तर में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) से 3 (तीन) के दादा स्व० रावतराम का देहान्त हो गया प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता झुमरराम को वसीयत में मिली और उनके बाद वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी के नाम से उक्त भूमि रिकार्ड में दर्शायी जा रही है यानी सभी उक्त संयुक्त स्वामित्व की सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी रिकार्ड में बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज हुआ और यह भूमिया सभी के संयुक्त खातेदारी की हुई यद्यपि यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि पिता झुमरराम के देहान्त के पश्चात उनके हिस्से की भूमि के पांच भाग किये गये थे चार संतान व एक पत्नी केली देवी का था केली देवी के देहान्त के पश्चात् उनके हिस्से की भूमि के भी बराबर चार हिस्से होने चाहिए थे किन्तु आप प्रतिपक्ष संख्या 1 से 3 ने आपसी मिलीभगत करते हुए राजस्व अधिकारीयो से साठगाठ कर उनके हिस्से की भूमि के तीन हिस्से ही खुलवाये गये थे और प्रार्थी को अपनी माता केली देवी की भूमि में आने वाले हिस्से से वंचित किया गया था। इस तरह उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 365 (तीन सौ पेंसठ) रकबा 0.5420 हैक्टेयर खसरा नम्बर 367 (तीन सौ अडसठ) रकबा 0.5097 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 368 (तीन सौ अडसठ) रकबा 1.3187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372 (तीन सौ बावोत्तर) रकबा 1.0274 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 377 (तीन सौ सित्योत्तर) रकबा 1.1892 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 435 (चार सौ पेंतीस) रकबा 2.8072 हैक्टेयर एवम् खसरा नम्बर 450 (चार सौ पचास) रकबा 1.0679 हैक्टेयर कुल खसरे -7 (सात) व कुल रकबा क्षेत्रफल 8.4621 (आठ दशसमलव चार हजार छः सौ इक्कीस) हैक्टेयर वाके ग्राम मालावास पटवार क्षेत्र मालावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौकडीकल्ला तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) से 3 (तीन) की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि है और इन कृषि भूमियों में वादी का संयुक्त रूप में 1/4 (एक बटा चार) हिस्सा है। उक्त कृषि भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) से 3 (तीन) के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमिया है और सभी इसका संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग कर रहे हैं। उक्त कृषि भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 (एक) से 03 (तीन) की संयुक्त कब्जा काश्त व खातेदारी की कृषि भूमियां हैं। इन कृषि भूमियों में प्रार्थीगण का 1/4 (एक बटा चार) हिस्सा था व है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमिया प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमिया हैं और सभी पक्षकारान बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हैं। वर्तमान में इन विवादित कृषि भूमियों पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 बहैसियत संयुक्त खातेदार काश्तकार काबिज हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के अलावा अन्य किसी का इन विवादित कृषि भूमियों में किसी तरह का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) से 3 (तीन) विवादित कृषि भूमियों पर संयुक्त रूप से काबिज है और विवादित कृषि भूमियों का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की विवादित कृषि भूमियों का आज दिन तक पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स किसी तरह का कोई बंटवाडा नहीं हुआ है। माह अगस्त 2020 (दो हजार बीस) में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 (एक) से 03 (तीन) से संयुक्त खातेदारी व कब्जा-काश्त की विवादित कृषि भूमियों का बंटवारा करने हेतु निवेदन किया तो पहले तो अप्रार्थीगण ने विवादित कृषि भूमियों का बंटवाडा करने हेतु हामी भरी, परन्तु बाद में वे उक्त कृषि भूमिया का बंटवाडा करने में आनाकानी करने लगे। और घमकिया देने लगे की ये इन कृषि भूमियों को आगे से आगे बेचान कर देंगे। इस पर प्रार्थी ने कई मौजीज व्यक्तियों के मार्फत भी अप्रार्थीगण से समझाईश करने का प्रयास किया, परन्तु अप्रार्थीगण नहीं मान रहे है और विवादित कृषि भूमियों का बंटवाडा करने को तैयार नहीं है। विवादित


सहायक विलवटर एन
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर (जोधपुर)

कृषि भूमियों में प्रार्थी का कब्जा काश्त है। यह भूमिया प्रार्थी को भी अपने माता-पिता के देहान्त के उपरान्त उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है और इन विवादित कृषि भूमियों में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) से 3 (तीन) का बराबर-बराबर हक, हिस्सा व अधिकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 (एक) से 3 (तीन) के अलावा उक्त कृषि भूमियों पर अन्य किसी का उक्त कृषि भूमियों पर संयुक्त रूप से काबिज है और इन पर सभी का कब्जा-काश्त चला आ रहा है यानि पक्षकारान् का इन भूमियों पर संयुक्त रूप से कब्जा-काश्त चला आ रहा है। विवादित कृषि भूमियों पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 (एक) से 03 (तीन) संयुक्त रूप से काबिज हैं और पक्षकारान के मध्य आज दिन तक उक्त कृषि भूमियों के संबंध में जरिये विवादित कृषि भूमियों में प्रार्थी का 1/4 (एक बटा चार) हिस्सा है और प्रत्येक अपने पिता से प्राप्त हिस्से अनुसार अप्रार्थी का भी 1/4 (एक बटा चार) हिस्सा है यानी अप्रार्थीगण सभी पक्षकारान मौके पर बहैसियत खातेदार-सा० काश्तकार काबिज है और सभी का संयुक्त रूप में कब्जा काश्त है विवादित कृषि भूमिया का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) से 3 (तीन) के मध्य आज दिन तक कोई बटवाडा नहीं हुआ है। प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि का बटवाडा करने का कहा, परन्तु गलत व गैरकानूनी तरीके से उक्त भूमि को आगे से आगे बेचान करने पर आमादा है जबकि अप्रार्थीगण को विवादित कृषि भूमिया अकेले को बेचने का किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी द्वारा बार-बार निवेदन करने एवं समझाईश करने के बावजूद भी अप्रार्थीगण विवादित कृषि भूमियों का बटवाडा नहीं कर रहे हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी विवादित कृषि भूमियों का बटवाडा करवाकर अपना हिस्सा अलग से प्राप्त करने का अधिकारी है। पक्षकार के मध्य जमीन का विधि अनुसार बटवाडा व तरमीम नही होने के कारण सहखातेदारों में अपनी अपनी मावों को लेकर विवाद बना रहता है जिसके चलते हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। अप्रार्थीगण का अकेले का विवादित कृषि भूमियों में कोई भी हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। प्रार्थी को उक्त कृषि भूमिया उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हैं और प्रार्थी भी इनका खातेदार-काश्तकार है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के साथ ही साथ प्रार्थी का भी विवादित कृषि भूमियों में हक हिस्सा व अधिकार है। उक्त विवादित कृषि भूमियों के अप्रार्थीगण के साथ ही साथ प्रार्थी भी एक खातेदार काश्तकार हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण अकेले को इन भूमियों का उपयोग उपभोग करने, निर्माण कार्य करवाने अथवा किसी भी तरीके से मुन्तकिल करने अथवा इन पर कोई भार या चार्ज क्रिएट करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी का भी विवादित कृषि भूमियों में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हक हिस्सा व अधिकार प्राप्त हुए हैं और मालिकाना अधिकार प्राप्त हुए हैं। प्रार्थी का नाम बखूबी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है और प्रार्थी का भी विवादित कृषि भूमियों में हक हिस्सा व अधिकार है एवं प्रार्थी विवादित कृषि भूमियों के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण को किसी भी तरीके से विवादित कृषि भूमियों को मुन्तकिल करने अथवा फरोक्त करने अथवा इन पर कोई भार या चार्ज क्रिएट करने का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं है और न ही निर्माण कार्य करवाने का अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण बावजूद समझाने एवं वास्तविक स्थिति का ज्ञान करवाने के उपरांत भी नहीं मान रहे हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह अपने अधिकारों की रक्षा इस माननीय न्यायालय के मार्फत करावे और दावा बाबत बटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में जमीन जायदादों के भावों में काफी बढ़ोतरी हो गई है। वादग्रस्त कृषि भूमियों की वर्तमान में कीमत लाखों रूपयों की है जिस कारण से अप्रार्थीगण की नीयत में बदलियती उत्पन्न हो गई है और इसी कारण अप्रार्थीगण विवादित कृषि भूमियों का बटवाडा करने को तैयार नहीं है और बाले-बाले विवादित कृषि भूमियों में निर्माण कार्य करवाने व विवादित कृषि भूमियों को बेचान कर वादी को उसकी सम्पत्ति से वंचित करना चाहते हैं जिसका अप्रार्थीगण को किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी ने अभी हाल ही में माह अगस्त 2020 (दो हजार बीस) में अप्रार्थीगण से बटवारा करने हेतु निवेदन किया तो पहले


सहायक क्लर्क एन
उपबण्ड अधिकारी
नं. 13 सहर अथवा

तो अप्रार्थीगण ने बंटवाडा करने हेतु हमी भरी, परन्तु बाद में विवादित कृषि भूमियां का बंटवाडा करने से मना कर दिया और विवादित कृषि भूमियों को मुन्तकिल करने की धमकी दी। प्रार्थी द्वारा काफी समझाईश करने पर भी अप्रार्थीगण नहीं मान रहे हैं और विवादित कृषि भूमियों से प्रार्थी को येन-केन प्रकारेण बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उपरोक्त तथ्यो व परिस्थितियों के अनुसार प्रार्थी का हर प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला है अगर प्रार्थी के हिस्से का बेचान व हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपुर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं होगी। सुविधा का सन्तुलन भी हर प्रकार से प्रार्थी के पक्ष में है। इस प्रकार प्रार्थी, अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफ़ैसला बाद इस आशय की अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त वर्णित खसरांन की भूमि का बेचान हस्तान्तरण किसी भी रूप में नहीं करे और न ही किसी एजेन्ट रिश्तेदार प्रतिनिधि व अन्य किसी के जरिये करावें और मौके व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति कायम रखे। अन्य उचित आदेश जो प्रार्थी के पक्ष में हो वो भी फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये। पूर्व में न्यायालय से दिनांक 29/09/2020 को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता अब्दुल सलीम खान द्वारा जवाब पेश नहीं किये पर जवाब बंद किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 05 व 06 द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से मौका कमिशनर रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार राजस्व ग्राम मालावास के खसरा संख्या 1062(पुराना ख स 450) खसरा संख्या 1063(पुराना ख स 450) खसरा संख्या 1065 (पुराना ख स 435) खसरा संख्या 1204 (पुराना ख स 377) खसरा संख्या 1206(पुराना ख स 365) खसरा संख्या 1210 (पुराना ख स 367) खसरा संख्या 1211 (पुराना ख स 368) खसरा संख्या 1212 (पुराना ख स 372) की मौके पर स्थिति इस प्रकार है कि 1204, 1206, 1210, 1211 व 1212 मौके पर खाली है एवं तारबंदी की हुई है। खसरा संख्या 1063 में फसल बोयी हुई है। खसरा संख्या 1065 में पक्का कमरा बना हुआ है तथा शेष खसरे में फसल बोयी हुई है। खसरा संख्या 1062 में प्रार्थी का कब्जाकाशत नहीं है। अप्रार्थी संख्या 07 की ओर अधिवक्ता पृथ्वीराज चौहान ने जवाब पेश किया जिसके अनुसार यह है कि ग्राम मालावास तहसील पीपाडशहर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 377 रकबा 1.1892 हैक्टेयर जरूर आयी हुयी है, अन्य भूमि खसरा नम्बर 365 367 368 372 435, 450 से अप्रार्थी संख्या-7 का कोई संबंध नहीं है। ग्राम मालावास तहसील पीपाडशहर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 377 रकबा 1.1892 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी की अप्रार्थी संख्या-1 बद्रीलाल पुत्र झूमरराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजशुदा है जिसमें से संयुक्त खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 बद्रीलाल का 5/16 वॉ हक व हिस्सा है, खातेदार बद्रीलाल ने दिनांक 15/09/2020 को रजिस्टर्ड बेचाननामा के आधार पर भूमि खसरा नम्बर 377 रकबा 1.1892 हैक्टेयर में से 5/16 वॉ हिस्सा का सम्पूर्ण बेचान अप्रार्थी संख्या-7 के पक्ष में निष्पादित कर दिया तथा भूमि का कब्जा अप्रार्थी संख्या-7 को सुपुर्द कर दिया, तब से भूमि खसरा नम्बर 377 रकबा 1.1892 हैक्टेयर में से 5/16 वॉ हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी संख्या-7 का कब्जा व काशत चला आ रहा है। ग्राम मालावास तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 377 रकबा 1.1892 हैक्टेयर में से अप्रार्थी संख्या-1 ने अपना 5/16 वॉ हिस्सा का अप्रार्थी संख्या-7 के पक्ष में रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 15.09.2020 को कर दिया है। अप्रार्थी संख्या-7 ने उचित प्रतिफल देकर रेकर्ड्ड खातेदार से भूमि को खरीदा है एवं कब्जा प्राप्त किया है। अप्रार्थी संख्या 7 का मौके पर कब्जा है इस कारण काबिज व्यक्ति को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। ग्राम मालावास तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 377 रकबा 1.1892 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या-1 का 5/16 वॉ हिस्सा निहित है जिसे अप्रार्थी संख्या-1 को अपना हिस्सा बैचने

का पूर्ण अधिकार है उन्ही अधिकारों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी संख्या-1 ने अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या-7 को बैचान किया है। अप्रार्थी संख्या-1 के स्थान पर अप्रार्थी संख्या-7 काबिज है। अप्रार्थी संख्या-7 को उसके क्रय किये गये भाग के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि संयुक्त खातेदारी की भूमि में समस्त संयुक्त खातेदार पूर्ण भूमि पर काबिज होते हैं अतः उनमें से किसी एक को अस्थायी निषेधाज्ञा से नहीं रोका जा सकता है। प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या-7 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या-1 से भूमि खसरा नम्बर 377 रकबा 1.1892 हैक्टेयर में से 5/16 वॉ हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि को खरीद किया है तथा अप्रार्थी संख्या-7 मौके पर काबिज है। इस कारण अप्रार्थी संख्या-7 द्वारा वादग्रस्त आराजी को संयुक्त भूमि के खातेदार बंशीलाल से उसका भाग क्रय किया है ऐसी दशा में अप्रार्थी संख्या 7 उसे वादग्रस्त आराजी का सहस्वामी हो गया है उसे वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। वादी ने माह अगस्त 2020 में प्रतिवादी संख्या-1 से 3 से कोई भूमि का बंटवाड़ा करने हेतु का निवेदन नहीं किया तथा न ही प्रतिवादीगण ने वादी को किसी प्रकार की कोई धमकी आदि दी गयी है। विवादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का जन्म से अधिकार है तथा अप्रार्थी संख्या-1 ने अपनी रेकर्डेड खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 377 रकबा 1.1892 हैक्टेयर में से 5/16 वॉ हिस्सा का बैचान करने का पूर्ण अधिकार है इन्ही अधिकारों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी संख्या-1 ने अप्रार्थी संख्या 7 को भूमि का बैचान कर कब्जा सुपुर्द किया है। प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या-1 ने अप्रार्थी संख्या 7 से प्रतिफल की राशि को प्राप्त कर उसका हिस्सा का बैचान किया है। अप्रार्थी संख्या 7 ने अप्रार्थी संख्या-1 की भूमि को खरीद किया है इस कारण अप्रार्थी संख्या-7 को अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा विक्रय की गई भूमि पर काश्त करने से नहीं रोका जा सकता है तथा न ही राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा की जा सकती है। समस्त संयुक्त खातेदार पूर्ण भूमि पर अलग अलग काबिज है तथा अप्रार्थीगण का मौके पर खसरा नम्बर 377 रकबा 1.1892 हैक्टेयर की भूमि पर अलग अलग काबिज है। मौके पर अप्रार्थी संख्या-1 की खसरा नम्बर 377 रकबा 1.1892 हैक्टेयर की 5/16 वॉ हिस्सा की भूमि अलग है इस कारण अप्रार्थी संख्या 7 ने अप्रार्थी संख्या-1 की 5/16 वॉ हिस्से की भूमि को खरीद किया है तथा खरीद के समय से अलग काबिज है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या-7 के बीच में सीव माठ कायम की हुई है। प्रार्थी को विभाजन का दावा पेश करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थी को माह अगस्त 2020 को कोई बिनायदावा पैदा नहीं हुआ है। मात्र अप्रार्थी संख्या-7 को भूमि से वंचित करने हेतु मिथ्या दावा पेश किया है। प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथमदृष्ट्या केस नहीं बनता है तथा न ही तुलनात्मक सुविधा प्रार्थी के पक्ष में हैं। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। अप्रार्थी संख्या 07 की ओर से अधिवक्ता पृथ्वीराज चौहान ने लिखित बहस पेश की जिसके अनुसार वादपत्र में अंकित वादग्रस्त भूमि जमाबंदी सम्वत् 2032 से 2035 से लगाकर सम्वत् 2053 से 2056 तक झुमरराम पुत्र रावतराम की खातेदारी भूमि रही थी। सम्वत् 2056 मे झुमररामजी के फौत होने पर उनका फौतेदगी नामान्तरण संख्या 777 उनके विधिक वारिशान में पुत्रान् रामचन्द्र 1/4 हिस्सा, बद्दीलाल 1/4 हिस्सा, बंशीलाल 1/4 व पल्लि केलीदेवी का 1/4 हिस्सा दर्ज इन्द्राज हुआ है जो नामान्तरण विधिवत् रूप से इन्द्राज किया गया। यहां पर यह अंकित करना आवश्यक है कि स्व. झुमररामजी का स्वर्गवास सन् 2005 से कई वर्ष पूर्व होने से तत्समय विधि अनुसार उनकी पुत्री गीता का दर्ज नहीं होता था यानि नामान्तरण संख्या 777 पूर्णतया विधि अनुसार दर्ज हुआ है। सन् 2005 के बाद केलीदेवी पल्लि झुमरराम का स्वर्गवास होने से कानून अनुसार उनके 1/4 हिस्से में तीन पुत्र व एक पुत्री गीता के नाम नामान्तरण इन्द्राज किया गया यानि गीता का अपनी माता के 1/4 हिस्से में से 1/4 हिस्सा अर्थात् सम्पूर्ण भूमि में 1/16 हिस्सा दर्ज इन्द्राज किया गया तथा वादी रामचन्द्र प्रतिवादी बद्दीलाल, बंशीलाल को अपनी माता के 1/4 हिस्से में हिस्सा मिलने से उनका 5/16-5/16 वॉ हक व हिस्सा दर्ज इन्द्राज रहा है जो कि विधिवत् रूप से दर्ज किया गया जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भी इन्द्राज है। गीता द्वारा कमी भी अपने हिस्से की मांग

1
उपस्थित अधिवक्ता
नीपाड शहर (जीधपुर)

को लेकर नामान्तरण के विरुद्ध कोई अपील नहीं की तथा न ही उक्त वाद व प्रार्थनापत्र में अपना हिस्सा गलत बताया है अर्थात् गीता की मौन स्वीकृति उक्त प्रकरण में रही है एवं गीता द्वारा आज दिन तक भी हिस्सा गलत की कार्यवाही नहीं की है। वादग्रस्त आराजी में वादी का 5/16 हिस्सा, प्रतिवादी बद्रीलाल का 5/16 हिस्सा प्रतिवादी बंशीलाल का 5/16 हिस्सा व गीता का 1/16 हिस्सा दर्ज इन्द्राज रहा है। दिनांक 15.09.2020 को प्रतिवादी बद्रीलाल ने अपने खातेदारी अधिकारों का प्रयोग करके वादग्रस्त आराजी में से खसरा नंबर 377 में निहित अपने सम्पूर्ण 5/16 वॉ हिस्सा का बैचान प्रतिवादी शोभा चौधरी को सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर पंजीबद्ध बैचाननामा निष्पादित किया। ज्योही उक्त बैचाननामा दिनांक 15.09.2020 को हुआ तो वादी ने तुरन्त उक्त वाद दिनांक 18.09.2020 को प्रस्तुत कर दिया जिससे स्पष्ट है कि वादी मात्र प्रतिवादी शोभा चौधरी के बैचाननामा के नामान्तरण में बाधा उत्पन्न करने की नियत से उक्त असदभाविक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रतिवादी शोभा चौधरी का बैचाननामा का नामान्तरण दिनांक 18.09.2020 से आज दिन तक नहीं मरा गया है जिसका वादी को उक्त नामान्तरण में बाधा उत्पन्न करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार वादी ने एक सोची समझी बदनियती से उक्त वाद मनगढत आधारों पर प्रस्तुत किया है एवं प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार प्रभावित कर रहा है क्योंकि यदि वादी को वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता पडती तो वादी कभी भी अपने पिता के स्वर्गवास बाद प्रस्तुत कर सकता था लेकिन वादी ने जानबुझकर दिनांक 15.09.2020 को बैचाननामा होते ही दिनांक 18.9.2020 को वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया जो कि विधि विरुद्ध है। वादी ने हस्तगत प्रार्थनापत्र के जरिये प्रतिवादी शोभा चौधरी द्वारा कय किये गये हिस्से की भूमि के नामान्तरण में बाधा उत्पन्न की है जिसका वादी को कोई विधिक अधिकार नहीं है। कोई भी खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है जिसके संबंध में निम्न न्यायिक सिद्धान्त समय समय पर प्रतिपादित किये गये हैं -

01- RRD 2002 page 214

संयुक्त खातेदारी आराजी के सहस्वामी ने उसका कृषि भाग कय किया गया है ऐसी सूरत में उसे कय किये गये भाग के उपयोग से अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये वंचित नहीं किया जा सकता है।

02 RRD 2004 page 133

केतागण ने उचित प्रतिफल देकर रेकॉर्डेड खातेदारी से भूमि खरीदी है एवं कब्जा प्राप्त किया है। काबिज व्यक्ति को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है।

03- RRD 2004 page 65,133

रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर अप्रार्थी आराजी पर काबिज है। सहखातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी को उसके कय किये गये भाग से वंचित नहीं किया जा सकता है। समस्त अंशधारी पूर्ण भूमि पर काबिज होते हैं।

04 RRD 2005 page 781 विक्रय की गई भूमि के उपयोग से रोका नहीं


जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में बद्रीलाल से शोभा चौधरी ने भूमि कय की है। प्रतिवादी शोभा चौधरी कय के आधार पर इस भूमि की हकदार है। ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

05 RRD 2008 page 762

प्रतिवादी को अपना हिस्सा बेचने का पूर्ण अधिकार है। संयुक्त खाते की भूमि में समस्त अंशधारी पूर्ण भूमि पर काबिज होते हैं अतः उनमें से किसी एक को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका नहीं जा सकता है।

महाराज कलकट्टर एन्ड
उपस्थान्त अधिकारी
(श्रीधरपुर)

हमने वकुलाय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड एवं तथ्यों का मूली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 07 के नामान्तरकरण में बाधा उत्पन्न करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो सारहीन एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।



(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी


पीप्राड शहर

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

पीप्राड शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 22/12/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



(नेमा राम)

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

पीप्राड शहर (जोधपुर)